

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2018/

दिनांक :

आदेश

श्रीमती आनन्दवली, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्रांक 823 दिनांक 18.07.2018 की पालना में दिनांक 20.07.2018 को निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर में 'आदेशों की प्रतीक्षा में' अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की हैं, का पदस्थापन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजमहल, टोंक में महिला स्वास्थ्य दर्शिका के रिक्त पद पर किया जाता है।

श्रीमती आनन्दवली को आज कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी उपस्थिति नवीन पदस्थापन स्थान पर प्रस्तुत करें।

50

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2018/ 742

दिनांक : 10-08-2018

प्रतिलिपी निम्नलिखित का वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा.राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, संभाग-अजमेर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक को प्रेषित कर लेख है कि श्रीमती आनन्दवली, महिला स्वास्थ्य दर्शिका के स्वैच्छापूर्वक अनुपस्थिति प्रकरण एवं राजकीय कार्य के प्रति लापरवाही के प्रकरण में प्राथमिक जांच कर दोषी, पाये जाने पर इनके विरुद्ध सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही करें।
6. श्रीमती आनन्दवली, महिला स्वास्थ्य दर्शिका को पालनार्थ।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर